न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोह मीना, आर ए एस
वाद पत्र संख्या :– 31/2021

उनवान

1. किशनलाल पुत्र मुसा
2. झूमा पुत्री मूंसा
3. रामेश्वर पुत्र मूंसा
4. प्रभू पुत्र मूंसा
5. लक्ष्मण पुत्र मूसा
6. साधुराम पुत्र मूसा
7. सोनी पत्नी मूसा

समस्त उम्र–व्यस्क, जाति जाट, निवासी खोरालाडखानी, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (जयपुर)

वादीगण

बनाम

1. प्रहलाद सहाय पुत्र मुरलीधर
2. नाथू पुत्र मुरली
3. रामेश्वर पुत्र मूंसा

समस्त जाति जाट, निवासी खोरालाडखानी, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा जिला जयपुर, राजस्थान
5. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय मनोहरपुर जिला जयपुर, राजस्थान

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति

1. श्री आर एस अग्रवाल वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से
2. श्री रणवीर कपूरिया वकील अप्रार्थी/वादीगण की ओर से

आदेश दिनांक 31.8.2022

उपर्युकत उनवानी संस्थित वाद में प्रार्थीगण/प्रतिवादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश– 7 नियम –11 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत जरिये अपने अधिवक्ता श्री रविशंकर अग्रवाल के द्वारा दिनांक 23.07.2021 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादीगण के द्वारा हाल आराजी खसरा नं0 1504/0.05, 1505/0.05, 1507/0.85, 1508/1.09 है0 कुल किता चार रकबा 2.04 है0 वाकै ग्राम खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा के संबंध में दावा बाबत दुरुस्ती इन्द्राज नक्शा ट्रेस एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है। वादीगण स्वयं के द्वारा वादपत्र की खण्ड संख्या–2 में वादीगण के पूर्वज द्वारा वाद श्रीमान उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के समक्ष उनवानी वाद मूसा बनाम नाथू वगै0 मुकदमा नंबर 136/2004 दावा बाबत दुरुस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी का व एक वाद प्रतिवादीगण द्वारा उनवानी नाथू बनाम मूंसा मुकदमा नंबर 11/2005 दावा बाबत बंटवारा खसरा आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जाना, जिसकी निर्णय दिनांक 04.11.2009 के द्वारा वादी का वाद खारिज किया जाना एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाना अंकित किया है। अप्रार्थी/वादीगण के द्वारा वादपत्र की खण्ड संख्या 2 में ही यह अंकन किया है कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 24.05.2010 के विरुद्ध प्रार्थी/प्रतिवादीगण के द्वारा एक अपील न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर में उनवानी नाथू बनाम मूसा मुकदमा नंबर अपील/टी0 ए0/2966/2010 जयपुर विचाराधीन रही जिसके निर्णय दिनांक 29.06.2015 के द्वारा अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4.11.2009 की पुष्टि की गई एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय 24.05.2010 को निरस्त किया गया। वादीगण के द्वारा वादपत्र की खण्ड संख्या 2 में ही यह अंकन किया है कि न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.06.2015 के विरुद्ध वादीगण द्वारा एक सिविल रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के समक्ष उनवानी उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के समक्ष उनवानी मूसा बनाम नाथू वगै0 रिट याचिका संख्या 8498/2016 प्रस्तुत की गई जो कि माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के समक्ष विचाराधीन चल रही है। इस प्रकार के प्रश्नागत आराजी मुतनाजा के संबंध में नियमानुसार राजस्व वाद का विचारण होकर हाजा

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 4.11.2009 को न्याय निर्णय किए जाने तथा जिसकी प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.05.2010 एवं द्वितीय अपील माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.06.2015 को गुणावगुण पर निस्तारित की जा चुकी है तथा वादीगण के कथनानुसार उसकी रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में वादीगण का प्रस्तुत वादपत्र कानूनन चलने लायक नहीं है । वादीगण के पूर्वज मूसा के द्वारा किए गए राजस्व वाद में सभी प्रकार की आपत्तियों का अदालत हाजा के द्वारा विचरण किया जाकर विधिवत निर्णय पारित किया जा चुका है पुनः उन्हीं बिन्दुओं का विचारण नहीं किया जा सकता है तथा वादीगण के द्वारा कथित सिविल रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसी सूरत में वादीगण के वादपत्र को सव्यय सरसरी रूप से खारिज किए जाने लायक है, वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित प्राग न्याय के एवं विचाराधीन कार्यवाही के सिद्धान्त लागू होने से चलने लायक नहीं है इसलिए वादी का वाद पत्र खारिज करने के आदेश प्रदान करें।

वकील वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब पेश कर जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र के जिमन नं0 2,3,4,5 में प्रार्थी/प्रतिवादीगण नें वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को ही अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित किया गया है। प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने अपने सम्पूर्ण प्रार्थना में कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण व हेतुक का उल्लेख नहीं किया गया है जिस कारण से वादी का वाद खारिज किया जा सकें । प्रार्थी/प्रतिवादीगण के द्वारा अपने सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र में वादी के द्वारा अपन वाद पत्र में किये गये अभिवचनों को वर्णित किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है,। प्रार्थी द्वारा जिन प्रावधानों के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उनमें वर्णित किसी भी तथ्यों/बिन्दुओं का उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया है, मात्र बदनियति पूर्वक वादीगण को हैरान व परेशान करने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का जिमन नं0 6 जिस प्रकार से जाहिर किया गया है, गलत है, तथा अस्वीकार है, प्रस्तुत जिमन में प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है, बदनियति पूर्वक गलत अंकित किए गए है, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में चाहा गया अनुतोष पूर्व में विचाराधीन प्रकरणां से भिन्न होने के कारण व उक्त विवादित आराजी के संबंध में एक सिविल रिट याचिका सं0 8498/2016 राज0 उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के समक्ष विचाराधीन होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

अप्रार्थी/वादी के द्वारा विशेष कथन जाहिर किए है कि प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा जिन प्रावधानों के अंतर्गत उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है और ना ही उक्त में वादी का वाद किसी प्रकार वर्जित है का कोई कारण वर्णित किया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में दुरुस्ती इन्द्राज नक्शा ट्रेस व स्थायी निषेधाज्ञा का चाहा गया है। पूर्व प्रकरणों में राजस्व कर्मचारियों द्वारा तैयार की गई कुर्रेजात रिपोर्ट की वादीगण को किसी भी प्रकार से जानकारी नहीं रही है और प्रस्तुत कुर्रेजात प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिली भग कर मौका स्थिति के विपरीत तैयार करवायी गई है, जो कि कानूनी प्रावधानों के विपरीत तैयार करवायी गई है, प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वादीगण के कब्जे कास्त व स्वामित्व की आराजी मे स्थित बोंरिग व कच्चे आवासीय मकानात की आराजी के बटा नंबर कायम किया जाकर उसका प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया है। ऐसी स्थिति में भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मौका स्थिति के विपरित वादीगण के बारिंग व कच्चे आवासीय मकानात में आने जाने के रास्ते की भूमि का भी अमलदरामद प्रतिवादीगण के नाम किए जाने से वादीगण का आवागमन का रास्ता अवरुद्ध हो जाने के कारण भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। उक्त विवादित आराजी पर वादीगण अपने पूर्वजों के समय से ही काबिज रहकर आराजी पर बिना किसी बाधा के काश्त करते हुए चले आ रहे हैं, और आराजी में बने सिंचाई हेतु बोरिंग व आम रास्ते की भूमि का उपयोग करते हुए चले आ रहे हैं। प्राथी/प्रतिवादीगण उक्त विवादित आराजी को लेकर वादीगण से लड़ाई झगडा करने पर आमादा रहते है, इस कारण प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्च खारिज किए जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी । वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को जाहिर करते हुए जाहिर किया कि जब इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णय पारित किया जा चुका है तथा माननीय उच्च न्यायालय मे प्रकरण में कोई किसी प्रकार का स्थगन आदि नहीं है तथा प्रकरण वर्तमान डिफेक्ट केस में पेन्डिंग होने से पुनः उन्ही विवादित आराजी के सम्बन्ध में पेश वाद पत्र विधि

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

विरूद्व होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वादपत्र खारिज फरमाया जावे ।

वकील अप्रार्थी/वादीगण ने अपनी बहस में अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को जाहिर करते हुए जाहिर किया प्रकरण भिन्न होने से प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया , तथा विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । जहॉं तक आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामन्जूर किये जाने का प्रावधान हैः–

क). जहॉं वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है। (ख). जहॉं दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया।

(ग). जहॉं दावाकृत अनुतोष ठीक है परन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है।

(घ). जहॉं वादपत्र किसी विधि से वर्जित है। (ङ). जहॉं यह 02 प्रतियों में फाईल नहीं किया है।

(च). जहॉं वादी नियम 9 के उपबंधो की अनुपालना करने में असफल रहता है।

विवादित प्रकरण में हमारे सम्मुख मूल रूप से बिन्दु ((घ) विचारणीय है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में यह स्पष्ट प्रावधान है कि वाद पत्र को पढने मात्र से ही यह परिलक्षित होना चाहिए कि वाद किस विधि से वर्जित है। अथवा कोई वाद हेतुक प्रकट नहीं किया गया । हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने इस न्यायालय के समक्ष उनवानी वाद मूसा बनाम नाथू वगै0 मुकदमा नंबर 136/2004 दावा बाबत दुरुस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी का व एक वाद प्रतिवादीगण द्वारा उनवानी नाथू बनाम मूंसा मुकदमा नंबर 118/2005 दावा बाबत बंटवारा खसरा आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जाना, जिसकी निर्णय दिनांक 04.11.2009 के द्वारा वादी का वाद खारिज किया जाना एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया गया है जिसकी प्रथम अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां की गई जिसके निर्णय दिनांक 24.5.2010 के द्वारा अपील स्वीकार किये जाने पर द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में किये जाने पर निर्णय दिनांक 29.6.2015 के द्वारा अपील स्वीकार की जाकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 4.11.2009 की पुष्टि की जाकर प्रथम अपील अधिकारी का निर्णय दिनांक 24.5.2010 को निरस्त किया गया है। इस प्रकार प्रकरण में उक्त विवादित आरजी के ही सम्बन्ध मे जब पूर्व में निर्णय पारित हो चुका है उन्ही आराजी के सम्बन्ध में पुनः वाद पत्र पेश कर अनुतोष प्राप्त करना विधि के विरूद्व होना साबित होता है । यदि वादीगण के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय 29.6.2015 के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका पेश की है जिसमें कोई स्थगन है या नहीं यह साबित नहीं किया है तथा जो रिट याचिका पेश की है उसमें केस स्टेज भी डिफेक्ट ऑर्डर अंकित है इस से जाहिर है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 4.11.2009 यथावत है तथा वादी के द्वारा उन्ही विवादित आराजी के सम्बन्ध में जो वादपत्र पेश किया गया है वह विधि से वर्जित होना पाया जाता है । इस प्रकार वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है अपितु विधि से वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतःउपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर अप्रार्थी/वादीगण का हस्तगत वादपत्र विधि से वर्जित होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। हर्जा ,खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31.8.2022 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उप(सनमोहन) अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– **श्री मनमोह मीना, आर ए एस**
वाद पत्र संख्या :– **31/2021**

उनवान

1. किशनलाल पुत्र मुसा
2. झूमा पुत्री मूंसा
3. रामेश्वर पुत्र मूंसा
4. प्रभू पुत्र मूंसा
5. लक्ष्मण पुत्र मूसा
6. साधुराम पुत्र मूसा
7. सोनी पत्नी मूसा

समस्त उम्र–व्यस्क, जाति जाट, निवासी खोरालाडखानी, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (जयपुर)
वादीगण

बनाम

1. प्रहलाद सहाय पुत्र मुरलीधर
2 नाथू पुत्र मुरली
3 रामेश्वर पुत्र मूंसा
समस्त जाति जाट, निवासी खोरालाडखानी, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा जिला जयपुर, राजस्थान
5 उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय मनोहरपुर जिला जयपुर, राजस्थान

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

आदेश दिनांक 31.8.2022

अतःउपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर अप्रार्थी/वादीगण का हस्तगत वादपत्र विधि से वर्जित होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। हर्जा ,खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

आज तारीख 31.8.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

उप मनमोहन
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	